न्यायालयः— रितिका शर्मा खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म0प्र0)

Registration No.SC NIA 322/2024
Filing No. SC NIA-2178/2024
CNR No. MP-1901-003544/2024
Filing Date 27-05-2024

परिवादी	शिवकली सिंह पत्नी श्री दिलीप सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड क्र0 03 रामस्थान थाना कोलगवां जिला सतना म0प्र0
परिवादी द्वारा	श्री के0के0 मिश्रा अधिवक्ता
अभियुक्त	विक्रम सिंह पिता श्री जीत सिंह निवासी ग्राम/पोस्ट रामस्थान तहसील रघुराजनगर थाना कोलगवां जिला सतना म0प्र0 हाल मुकाम चाणक्यपुरी कालोनी गली नं0 01 सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री एन0 एल0 शर्मा अधिवक्ता

अपराध की तिथि	08.04.2024
परिवाद पत्र पेश करने की तिथि	13.04.2024
अपराध विवरण की तिथि	17.01.2025
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तिथि	05.03.2025
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	11.07.2025
निर्णय की तिथि	16.07.2025
दंडादेश, यदि कोई हो, की तिथि	16.07.2025

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किए जाने की तिथि	अपराध जिन का आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द0प्र0सं0 के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई

							निरेध की अवधि
1.	विक्रम सिंह	——	22.11. 2024	138	दोषसिद्ध	03 माह का साधारण कारावास एवं 4,73,000/—रूपये प्रतिकर एवं प्रतिकर अदा न करने की दशा में 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास	——

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची कमांक अभियोजन साक्षीः—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
प0सा0—01	शिवकली सिंह	परिवादी स्वयं
प0सा0—02	उत्तम सिंह	परिवादी साक्षी

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची कमांक अभियोजन साक्षीः—

स0क0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी 1/प0सा0 01	विवादित चेक दिनांक 29.01. 2024
2	प्रदर्श पी 2/प0सा0 01	रिटर्न मेमो दिनांक 27.02.2024

3	प्रदर्श पी 3/प0सा0 01	नोटिस दिनांक 21.03.2024
4	प्रदर्श पी 4/प0सा0 01	डाक रसीद
5	प्रदर्श पी 5/प0सा0 01	डाक रसीद
6	प्रदर्श पी 6/प0सा0 01	परिवादी के बैंक खाते का स्टेटमेंट

//निर्णय//
(आज दिनांक 16.07.2025 को घोषित)

01. अभियुक्त पर दिनांक 29.01.2024 को विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु परिवादी को प्रदान किये गये चैक क्रमांक 000043 राशि 4,00,000/–रूपये (चार लाख रूपये) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिरला रोड जिला सतना के 'ड्रॉअर्स सिग्नेचर डिफर्स' होने के कारण अनादृत होने और सूचना के बाद भी परिवादी को उक्त धनराशि का विधिक समयावधि में भुगतान न किये जाने पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा–138 के तहत अभियोग है।

02. परिवाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अभियुक्त ट्रक चलवाने का व्यवसाय करता है। माह जनवरी के अंतिम सप्ताह में अभियुक्त को अपने ट्रक की किस्त अदा करने के लिए रूपयों की आवश्यकता होने के कारण उसने परिवादिया से 4,00,000/–रूपये कर्ज की मांग की थी, चूंकि अभियुक्त एवं परिवादिया के मध्य अच्छे पारिवारिक संबंध होने के कारण परिवादिया, अभियुक्त को उक्त कर्ज देने के लिए सहमत हुयी तथा दिनांक 29.01.2024 को परिवादिया ने अभियुक्त को 4,00,000/–रूपये की एफ0डी0 जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सतना में उसके नाम थी उसे दिनांक 29.01.2024 को रिलीज कराकर बैंक में ही अभियुक्त को उसके कहे अनुसार अपने खाता से ट्रांसफर बाउचर में हस्ताक्षर करवाकर दिनांक 29.01.2024 को ही अभियुक्त को उक्त राशि उसके कहे अनुसार खाता में स्थानांतरित कर दी गयी, पहले अभियुक्त द्वारा परिवादिया को यह नहीं बताया गया था कि जिस फर्म श्रीराम लॉजिस्टिक के लोन

अकाउंट में उक्त 4,00,000/–रूपये लोन एमाउंट ट्रांसफर कराया है तो वह फर्म उसके भाई प्रभाकर सिंह के नाम पर है, बाद में यह बात परिवादिया को तब पता लगी जब उसके द्वारा बैंक से एकाउंट स्टेटमेंट निकलवाया गया था, परिवादिया द्वारा इस बात की आपत्ति करने पर कि वह अपने एकाउंट में ट्रांसफर कराने के लिए कहकर श्रीराम लॉजिस्टिक फर्म में क्यों ट्रांसफर कराया है तो उसका कहना था कि जो गाड़ियां चल रही हैं तथा ट्रांसपोर्ट का जो व्यवसाय है वह उक्त फर्म के नाम से ही है तथा वह और उसका भाई उक्त फर्म में पार्टनर हैं। उक्त कर्ज राशि परिवादिया द्वारा अभियुक्त को देने के पश्चात् अभियुक्त ने अपने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिरला रोड सतना स्थित खाता क0 87830100011049 का चेक क0 000043 दिनांकित 29.01.2024 राशि 4,00,000/–रूपये परिवादिया को प्रदान किया तथा चेक प्रदान करते समय अभियुक्त ने परिवादिया को यह आश्वासन दिया कि वह उक्त चेक को नियत दिनांक 29.01.2024 के 20 दिवस पश्चात् अपने खाते में प्रस्तुत कर अपनी उक्त कर्ज राशि 4,00,000/–रूपये को वापस प्राप्त कर सकती है।

03. परिवाद पत्र आगे इस प्रकार है कि अभियुक्त द्वारा दिये गये उक्त चेक को अपने अकाउंट में लगाने के पूर्व परिवादिया द्वारा उसे यह बताया गया कि उक्त चेक को कैश कराने के लिए वह अपने अकाउंट में प्रस्तुत कर रही है, अभियुक्त के द्वारा यह कहा गया कि ठीक है, मेरे अकाउंट में पर्याप्त धनराशि है, परिवादिया ने उपरोक्त चेक को अपने खाता के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा सतना जिला सतना म0प्र0 में स्थित अपने खाता क0 00000020279664920 में दिनांक 26.02.2024 को प्रस्तुत किया जो दिनांक 27.02.2024 को इस टीप के साथ अनादरित करके परिवादिया को उसके बैंक द्वारा वापस प्रदान कर दिया गया कि अभियुक्त ने जो हस्ताक्षर चेक में किये थे, उक्त हस्ताक्षर बैंक में उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से भिन्न हैं अर्थात् 'ड्रॉअर्स सिग्नेचर डिफर्स' है। परिवादिया ने अभियुक्त से मिलकर उसे यह बताया कि उसके द्वारा प्रदत्त चेक का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, तब अभियुक्त के द्वारा कहा गया कि वह

2–4 दिन में व्यवस्था करके उक्त राशि का नगद भुगतान कर देगा, परिवादिया द्वारा कई बार अभियुक्त से उक्त राशि की मांग की गयी, किन्तु वह टालमटोल करता रहा। परिवादिया द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को पृथक्–पृथक् उसके स्थायी पते व वर्तमान पते पर दिनांक 21.03.2024 को रजि0 नोटिस प्रेषित करायी गयी, उक्त दोनों नोटिस अभियुक्त को दिनांक 23.03.2024 को प्राप्त हो चुकी हैं, इसके बावजूद भी अभियुक्त द्वारा उक्त चेक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया गया और न ही नोटिस का जवाब दिया गया। अतः परिवादी द्वारा यह परिवाद पत्र धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियॉ पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की। अभियुक्त की ओर से बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

05. प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है–

(1) क्या अभियुक्त ने परिवादी को ₹ 4,00,000/–रूपये (चार लाख रूपए) की राशि का चेक क्रमांक 000043 दिनांक 29.01.2024 किसी वैध ऋण अथवा दायित्व के उन्मोचन हेतु प्रदत्त किया था ?

(2) क्या उक्त चेक अभियुक्त के खाते में 'ड्रॉअर्स सिग्नेचर डिफर्स' के कारण अनादरित हो गया था ?

(3) क्या उक्त चेक के अनादरण की सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर परिवादी ने अभियुक्त को उक्त राशि अदा करने हेतु लिखित सूचना पत्र प्रेषित किया था?

(4) क्या उक्त सूचना पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर अभियुक्त ने परिवादी को उपरोक्त राशि अदा नहीं की है ?

::– सकारण निष्कर्ष –::

विचारणीय बिन्दु क0 01

06. परिवादिया शिवकली सिंह (प0सा0–1) ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रकट किया है कि अभियुक्त ट्रक चलवाने का व्यवसाय करता है। माह जनवरी के अंतिम सप्ताह में अभियुक्त को अपने ट्रक की किस्त अदा करने के लिए रूपयों की आवश्यकता होने के कारण उसने उससे 4,00,000/–रूपये कर्ज की मांग की थी, चूंकि अभियुक्त एवं उसके मध्य अच्छे पारिवारिक संबंध होने के कारण वह, अभियुक्त को उक्त कर्ज देने के लिए सहमत हुयी तथा दिनांक 29.01.2024 को उसने अभियुक्त को 4,00,000/–रूपये की एफ0डी0 जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सतना में उसके नाम थी उसे दिनांक 29.01.2024 को रिलीज कराकर बैंक में ही अभियुक्त को उसके कहे अनुसार अपने खाता से ट्रांसफर बाउचर में हस्ताक्षर करवाकर दिनांक 29.01.2024 को ही अभियुक्त को उक्त राशि उसके कहे अनुसार खाता में स्थानांतरित कर दी गयी। उक्त कर्ज राशि उसके द्वारा अभियुक्त को देने के पश्चात् अभियुक्त ने अपने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिरला रोड सतना स्थित खाता क0 87830100011049 का चेक क0 000043 दिनांकित 29.01.2024 राशि 4,00,000/–रूपये उसको प्रदान किया, उक्त चेक प्रदर्श पी 01 है जिसके ए से ए भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं।

07. उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि आरोपी उसके गांव का होकर उसका देवर लगता है। उसने आरोपी को चार लाख रूपये कर्ज नगद रूपये दिया था। साक्षी ने स्वतः कहा कि उसकी एफडी तोड़कर उसके खाते में ट्रांसफर किया था। साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसने विक्रम सिंह को रूपये नहीं दिये थे। साक्षी ने व्यक्त किया कि उसने अभियुक्त के बैंक खाते में पैसे दिये थे। साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसने प्रभाकर सिंह के खाते में उक्त रूपये जमा कराये थे न कि विक्रम सिंह के खाते में। साक्षी ने प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या आपने उक्त रूपये

श्रीराम लॉजिस्टिक लोन के खाते में जमा कराये थे, पर साक्षी ने कथन किया कि विक्रम सिंह के खाते में जमा कराये थे, किन्तु उसे खाते का नाम नहीं पता है। साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसका अभियुक्त विक्रम सिंह के साथ उसकी जमीन खरीदने का करार हुआ था और उसी के एवज में उसने विक्रम सिंह को चार लाख रूपये अदा किये थे। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया कि जब उस जमीन का सौदा नहीं हुआ तो विक्रम ने उससे कहा था कि उक्त चार लाख रूपये लौटा देगा। साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया कि विक्रम ने उसे उक्त चेक उसी जमीन के पैसों के एवज में दिया था और कहा था कि वह उसे थोड़ा–थोड़ा करके पैसा चुका देगा और तब उसका चेक वापस कर दे।

08. साक्षी उत्तम सिंह (प0सा0 02) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह परिवादी को जानता है जो उसकी मां है। अभियुक्त विक्रम सिंह ने उसकी मां से ट्रक की किश्त जमा करने के लिए उधार पैसे की मांग की थी तो उसने अपनी मां से बात की थी तो उसकी मां ने बोला कि वे अभियुक्त को पैसे दे देंगे, उसके पास पैसा है फिर वह, उसकी मां और विक्रम सिंह बैंक गये वहां पर अभियुक्त द्वारा पर्ची में भरकर उसकी मां से दस्तखत कराकर पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करा लिये। उसी दिन उसने व उसकी मां ने अभियुक्त से चेक मांग लिया था। फिर अभियुक्त ने उनका पैसा समय पर नहीं लौटाया। सही समय पर पैसा नहीं देने के बाद जब उन्होंने चेक बैंक में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। साक्षी ने उसके प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को अस्वीकार किया उसकी मां व विक्रम सिंह के बीच विक्रम सिंह की जमीन लेने की बातचीत चल रही थी, सौदा होने के पश्चात् उसकी मां ने विक्रम सिंह को बयाने के तौर पर रूपया दिया। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उससे रूपयों की मांग विक्रम सिंह ने की थी, प्रभाकर सिंह ने उससे रूपये नहीं मांगे। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसकी मां ने रूपये श्री राम लॉजिस्टिक फर्म के नाम ट्रांसफर किया था विक्रम सिंह को रूपये नहीं दिये गये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी मां ने प्रभाकर

सिंह के खाते में रूपये ट्रांसफर किये थे। साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया कि विक्रम सिंह ने जब जमीन बेचने से मना कर दिया तब उन लोगों ने अपने रूपयों की मांग की। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि विक्रम सिंह ने पैसा लौटाने के लिए कुछ समय मांगा और गारंटी के तौर पर उसकी मां को विवादित चेक प्रदान किया। साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया कि विक्रम सिंह ने किश्तों में उसकी मां को 4 लाख रूपये लौटा दिये थे।

09. अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अपने अभियुक्त कथन में यह कहा है कि परिवादी ने जमीन खरीदने हेतु राशि दी थी जमीन का सौदा कैंसिल होने के बाद अमानत के तौर पर चेक दिया था। अभियुक्त ने यह भी कहा है कि पूरा पैसा किस्तों में वापस करने के बाद ब्याज की मांग की गयी और विवाद होने के कारण चेक बाउंस कराया गया।

10. इस प्रकार अभियुक्त ने उक्त विवादित चेक को परिवादी को अमानत के तौर पर दिया जाना बताया है। इसके अतिरिक्त किस्तों में राशि अदा किया जाना भी बताया है। इस कारण यह प्रमाणित है कि अभियुक्त द्वारा अपने स्वयं के खाते का चेक क्र. 000043 दिनांक 29.01.2024 राशि 4,00,000/—रूपये (चार लाख रुपये) परिवादी के पक्ष में जारी किया गया था।

11. परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 139 चेक के धारक के पक्ष में यह उपधारणा करती है कि —

"It shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of a cheque received the cheque of the nature referred to in section 138 for the discharge, in whole or in part, or any debt or other liability.

12. इस संबंध में न्याय दृष्टांत Rangappa vs Shri Mohan (2011) 2 SCC 441 में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अवलोकनीय है–

"The presumption under Section 139 of the Negotiable Instruments Act, 1881 includes the presumption of the existence of a legally enforceable debt or liability. That presumption is required to be honoured, and if it is not so done, the entire basis of making these provisions will be lost. Therefore, it has been held that it is for the accused to explain his case and defend it once the fact of cheque bouncing is prima facie established. The burden is on him to disprove the allegations once a prima facie case is made out by the complainant."

13. इस प्रकार धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा को खण्डित करने का दायित्व अभियुक्त पर है। अभियुक्त ने परिवादी को अमानत के तौर पर चेक दिया जाना बताया है। इस प्रकार परिवादी ने अपने पक्ष समर्थन में जो साक्ष्य प्रस्तुत की है वह धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आलोक में यह उपधारित करने हेतु प्रथम दृष्टया प्रमाण रखती है कि अभियुक्त ने प्रदर्श पी0–1 का चेक वैध दायित्व के उन्मोचन हेतु दिया था। इस प्रकार अभियुक्त उक्त उपधारणा को खण्डित करने में विफल रहा है। तद्नुसार यह विचारणीय बिन्दु भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 2

14. इस संबंध में परिवादी शिवकली सिंह (परि0सा0–1) का अभिकथन है कि अभियुक्त द्वारा दिये गये उक्त चेक को अपने अकाउंट में लगाने के पूर्व परिवादिया द्वारा उसे यह बताया गया कि

उक्त चेक को कैश कराने के लिए वह अपने अकाउंट में प्रस्तुत कर रही है, अभियुक्त के द्वारा यह कहा गया कि ठीक है, मेरे अकाउंट में पर्याप्त धनराशि है, परिवादिया ने उपरोक्त चेक को अपने खाता के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा सतना जिला सतना म0प्र0 में स्थित अपने खाता क्र0 00000020279664920 में दिनांक 26.02.2024 को प्रस्तुत किया जो दिनांक 27.02.2024 को इस टीप के साथ अनादरित करके परिवादिया को उसके बैंक द्वारा वापस प्रदान कर दिया गया कि अभियुक्त ने जो हस्ताक्षर चेक में किये थे, उक्त हस्ताक्षर बैंक में उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से भिन्न हैं अर्थात् 'ड्रॉअर्स सिग्नेचर डिफर्स' है। उक्त रिटर्न मेमो प्रदर्श पी 02 है। उक्त संबंध में परिवादी की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के दौरान स्थिर रही है।

15. परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 146 बैंक ज्ञापन के संबंध में यह उपधारणा करती है –

"The Court shall, in respect of every proceeding under this Chapter, on production of bank's slip or memo having thereon the official mark denoting that the cheque has been dishonoured, presume the fact of dishonour of such cheque, unless and until such fact is disproved.

16. प्रकरण में विवादित चेक के अनादरण का कारण ''ड्रॉअर्स सिग्नेचर डिफर्स'' है। इस संबंध में यदि चैक अपूर्ण हस्ताक्षर होने के आधार पर या हस्ताक्षर न मिलने के आधार पर भी अनादरित हुआ है तब भी उसे धारा 138 एन.आई.एक्ट. की परिधि में माना जाएगा जैसा कि न्याय दृष्टांत मेसर्स लक्ष्मी डायकेम विरूद्ध स्टेट ऑफ गुजरात, क्रिमिनल अपील 1870 – 1909/2012 निर्णय दिनांक 27 नवंबर 2012 ;2013 Cr.L.J. 3288) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है इस मामले से यह भी स्पष्ट होता है कि चैक यदि किसी भी कारण से अनादरित हुआ हो व मांग सूचना पत्र मिलने के बाद भी

चैक जारी करने वाला कोई कदम नहीं उठाता है तब इसे अपर्याप्त निधि के कारण चैक का अनादरण माना जाएगा।

17. अभियुक्त ने ऐसा कोई बचाव नहीं लिया है कि उसके खाते में चेक अनादरण के समय पर्याप्त राशि थी। अभियुक्त की ओर से धारा 146 की उपधारणा के खण्डन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस कारण उपधारणा खण्डित न होने से यह भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि प्रदर्श पी0–1 का चेक अनादरित हो गया था। तद्नुसार यह विचारणीय बिन्दु भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 3 एवं 4

18. परिवादी शिवकली सिंह (परि0सा0–1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने अभियुक्त से मिलकर उसे यह बताया कि उसके द्वारा प्रदत्त चेक का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, तब अभियुक्त के द्वारा कहा गया कि वह 2–4 दिन में व्यवस्था करके उक्त राशि का नगद भुगतान कर देगा, उसके द्वारा कई बार अभियुक्त से उक्त राशि की मांग की गयी, किन्तु वह टालमटोल करता रहा। परिवादिया द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को पृथक्–पृथक् उसके स्थायी पते व वर्तमान पते पर दिनांक 21.03.2024 को रजि0 नोटिस प्रेषित करायी गयी, उक्त दोनों नोटिस अभियुक्त को दिनांक 23.03.2024 को प्राप्त हो चुकी हैं, इसके बावजूद भी अभियुक्त द्वारा उक्त चेक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया गया और न ही नोटिस का जवाब दिया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटिस प्रदर्श पी 03, रसीद प्रदर्श पी 04 एवं प्रदर्श पी 05 है।

19. अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई आपत्ति नहीं की गयी है कि उसे सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह प्रमाणित है कि अभियुक्त को प्र0पी0–3 की नोटिस प्राप्त हुई थी अभियुक्त द्वारा पूर्व में ही पूरी राशि का भुगतान कर देना बताया है, परंतु ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं होने से यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने परिवादी को

राशि का भुगतान किया था। ऐसी स्थिति में उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दु भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होते हैं।

अंतिम आदेश

20. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आलोक में न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि परिवादी यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने उसे ऋण अथवा अन्य दायित्व के उन्मोचन हेतु ₹ 4,00,000/– (चार लाख रूपये मात्र) की राशि का चेक दिया व उक्त चेक 'ड्रॉअर्स सिग्नेचर डिफर्स'' होने से अनादरित हो जाने पर परिवादी द्वारा ₹ 4,00,000/– (चार लाख रूपये मात्र) की अदायगी हेतु भेजे गए मांग सूचना पत्र प्राप्त होने के बाद भी भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप **विक्रम सिंह** को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

21. इसी प्रक्रम पर अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने के संबंध में विचार किया जाना आवश्यक है। अभियुक्त ने परिवादी को प्रश्नगत चैक दिया, जो 'ड्रॉअर्स सिग्नेचर डिफर्स'' होने के कारण अनादरित हुआ। अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त परिपक्व आयु का व्यक्ति होकर अपने कृत्य की प्रकृति को भली–भांति समझने में सक्षम है, यदि ऐसी स्थिति में अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाता है, तो ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा। वर्तमान परिवेश में चैक संबंधी तथा आर्थिक अपराध में निरन्तर वृद्धि हुई है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

22. प्रकरण की परिस्थितियों, अभियुक्त की उम्र एवं अपराध के स्वरूप आदि सभी बिन्दुओं पर विचार करने के पश्चात अभियुक्त विक्रम सिंह को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के लिये 03 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है एवं न्यायदृष्टांत आर. विजयन बनाम बेवी(2012) एस.सी.सी.–260 में प्रतिपादित मार्गदर्शक सिद्धांतों के पालन में धारा 357(3) दं.प्र.सं. के अधीन चैक की राशि ₹ 4,00,000/– (चार लाख रूपये मात्र) एवं

चैक की राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 06 माह का ब्याज 54,000/– (चौवन हजार रूपये) रूपये स्टाम्प खर्च के संबंध में 17,000/–(सत्रह हजार रूपये) एवं अधिवक्ता एवं अन्य खर्च के रूप में 2,000/–(दो हजार) रूपये इस प्रकार कुल 4,73,000/–(चार लाख तिहत्तर हजार रुपये) का प्रतिकर अधिरोपित किया जाता है। प्रतिकर की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगताई जावेगी।

23. अभियुक्त को निर्णय की निःशुल्क प्रति प्रदान की जावे।

24. अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं व्यक्तिगत बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

25. निर्णय अनुसार अभियुक्त का सजा वारंट तैयार किया जावे ।

26. अभियुक्त के विचारण के दौरान कारावास में व्यतीत की गयी अवधि को समायोजित करने सम्बंधी प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 428 दं0प्र0सं0 पृथक से तैयार किया जाये।

न्यायालय में घोषित, दिनांकित एवं मेरे बोलने पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित किया गया।

(श्रीमती रितिका शर्मा खरे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जिला सतना म.प्र.

(श्रीमती रितिका शर्मा खरे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जिला सतना म.प्र.

RITIKA SHARMA

Digitally signed by RITIKA SHARMA
Date: 2025.07.16 17:50:49 +0530